न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनबाड़ी अपील वाद–88 / 2016

प्रभा कुमारी बनाम राज्य व अन्य

–:: आदेश ::–

23.8.18 प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील अपीलार्थी प्रभा कुमारी द्वारा वाद संख्या–80 / 2013–14 में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा 26.09.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

सत्तरकटैया बाल विकास परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत सत्तर के आँगनबाड़ी केन्द्र सिमराही टोला (मिनी) केन्द्र संख्या–153, वार्ड नंबर–5 की सेविका चयन में अनियमितता बरतने के आरोप में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के समक्ष दाखिल अपील वाद को खारीज किये जाने से विक्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील दाखिल किया है।

दिनांक–22.07.2017 को अपीलार्थी ने आवेदन समर्पित कर कहा है कि अपीलार्थी अब केश लड़ना नहीं चाहती है। दोनों पक्षों में सामाजिक तौर पर समझौता हो चुका है। अपीलार्थी ने अपील वाद वापस लेने की स्वीकृति प्रदान करने की याचना की है।

दिनांक–22.07.2017 को न्यायालय में उभय पक्ष सशरीर उपस्थित। उभय पक्षों को सुना। अतः अपीलार्थी द्वारा दिये गये आवेदन एवं शपथ–पत्र के आलोक में एवं उभय पक्ष द्वारा न्यायालय में समझौता की स्वीकारोक्ति के आलोक में वाद समाप्त किया जाता है। मूल अभिलेखं वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

23.8.18
जिलाधिकारी,
सहरसा।

23.8.18
जिलाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 1503-2 / विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
25.09.017